अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्योराम वगैरह बनाम लक्ष्मण वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 217/2023 (किशनगढ़)

5/7/23

	श्री राकेश अरोड़ा एड.	
03.07.2023	यह अपील श्री राकेश अरोड़ा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 79/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते स्थगन आदेश पारित किये जाने बाबत् पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते स्थगन दिनांक 04.07.2023 को पेश हों।	
04.07.2023	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते स्थगन हेतु रिजर्व रखी जाती है।	
05.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. वास्ते स्थगन हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित । अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि आराजीयात ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 है. में रेस्पोडेन्टस संख्या 1लगायत 03 का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण को मौके से बेदखल करके, अवैध अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चूँकि उपरोक्त आराजीयात में किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, स्वत्व नहीं है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अवैध रूप से अपीलार्थीगण की भूमि को हड़पक रने के अवैध उद्देश्य से अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्टस अपने अवैध मन्सुबे में कामयाब हो जायेगे तो अपीलार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात ग्राम पाटन, पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 है0 भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 द्वारा किसी प्रकार का ब्लात अतिचार, अतिक्रमण नहींकरे एवं अपीलर्थीगण के कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, मौके से अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं करें, अपीलार्थीगण द्वारा बोई गयी फसल को नष्ट नहीं करें एवं मौके पर लगी तारबंदी को क्षति नहीं पहुँचाये, बेदखल नहीं करें तथा अपीलार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाध उत्पन्न नहीं करने हेतु ताफैसला मूल वाद रेस्पोडेटस को पाबंद किया जावे।	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्योराम वगैरह बनाम लक्ष्मण वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 217/2023 (किशनगढ़)

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 79/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.06.2023 को प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थीगण को सुना जाकर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बहस के पश्चात आदेश में यह अंकित नहीं किया गया है कि अन्तरिम स्थगन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अन्तरिम स्थगन जारी नहीं किये जाने का कारण अंकित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं अंकित नहीं किया तथा आदेश 39 नियम 01, 02 जाप्ता दीवानी में यह प्रावधान किया गया है कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में किया जाना चाहिए किन्तु प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर 30 दिवस से अधिक तारीख पेशी नियत की गई है, जबकि प्रकरण को 30 दिवस में निस्तारण करना चाहिए। अपीलांट विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 है0 भूमि ग्राम पाटन का 1/2 हिस्सा निहित है, यदि उसके हिस्से हक व अधिकार की भूमि में अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है तो प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति अपीलांट को ही होनी है। अपीलांट ने यह अपील अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जबकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की अन्तरिम स्थगन बाबत् चाराजोही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई,चूँकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से पूर्ण करवा कर, उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस मे आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

अजमेर